

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णीत तिथि : 03 अप्रैल 2014

आप.अ. 1503/2011

प्रवर्तन निदेशालय

....अपीलार्थी

द्वारा : श्रीमती राजदीपा बेहुरा, अधिवक्ता

बनाम

मैसर्स मॉर्गन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

.....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री. मुनीश मल्होत्रा, अधिवक्ता के
साथ श्री. विक्रमवी. मिन्हास,
अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

न्या. एस.पी. गर्ग

1. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (जिसे आगे 'फेरा' कहा जाएगा) की धारा 54 के तहत विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अपील संख्या 610/2003 में दिनांक 21.08.2009 के अंतिम

आदेश के विरुद्ध आप.अ. 1503/2011 पेश किया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर ली और दिनांक 28.10.2003 के न्यायनिर्णयन आदेश को रद्द कर दिया।

आप.वि.आ. 18825/2011 (देरी) में आप.अ. 1503/2011

2. अपील दायर करने में 775 दिनों की देरी को माफ करने के लिए आवेदन दायर किया गया है।

3. अपीलार्थी (प्रवर्तन निदेशालय) के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक. 21.08.2009 के आदेश को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय को दिनांक. 17.09.2009 को सूचित किया गया था। अपील दायर करने का निर्णय विभिन्न स्तरों पर लिया गया था, जिसमें बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ। अपीलार्थी की ओर से जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई थी।

4. मैंने अपीलार्थी की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का परीक्षण किया है। जाहिर है, वर्तमान अपील 775 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई है। फेमा की धारा 35 के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश की सूचना मिलने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है। यह प्रावधान उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि यदि वे संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी को अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से

रोका गया था, तो वे अगले 60 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं। चूंकि उक्त आदेश फेमा के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया था, इसलिए मेरे विचार में, फेमा की धारा 35 के प्रावधान लागू होते हैं और अपील दायर करने की सीमा अवधि 120 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।

5. 'थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (भारत संघ) एवं अन्य', 2011 (6) एससीसी 739 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

“14. मौलिक विधि से तात्पर्य नियमों के उस समूह से है जो अधिकारों और दायित्वों का निर्माण, परिभाषित और विनियमन करता है। किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए किसी पक्ष को दिया गया अधिकार एक कानून द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है जो कानून में बाद के परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा संशोधित न किया जाए। प्रक्रियात्मक विधि उन अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए एक तंत्र और उन्हें लागू करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार होने के कारण हमेशा भावी रूप से कार्य करता है। यह एक सामान्य कानून है कि प्रत्येक कानून भावी रूप से तब तक लागू होता है जब तक कि वह स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लागू न हो। अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन अपील दायर करने की प्रक्रिया जिसमें सीमा अवधि

शामिल है, उसे मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है, और पीड़ित व्यक्ति यह दावा करते हुए किसी निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है कि उसे सीमा अवधि से संबंधित पुराने प्रावधान द्वारा शासित होना चाहिए। प्रक्रियात्मक कानून पूर्वव्यापी है, जिसका अर्थ है कि यह निरस्त अधिनियम के तहत किए गए कार्यों या संव्यवहार पर भी लागू होगा।

15. इस विषय पर कानून के विषय में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में विस्तार से चर्चा की गई है तथा उनमें से कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है। इस न्यायालय ने गरिकापति वीरैया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी और अन्य एआईआर 1957 एससी 540, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती शांति मिश्रा (1975) 2 एससीसी 840, हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1994) 4 एससीसी 602; महाराजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव बनाम बिहार राज्य और अन्य (1999) 8 एससीसी 16; श्याम सुंदर और अन्य बनाम राम कुमार और अन्य (2001) 8 एससीसी 24 में संशोधनकारी कानून और इसकी भूतलक्ष्यता के दायरे पर विस्तार से चर्चा की है और अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक कक्षीकार के पास मूल कानून में निहित अधिकार है लेकिन प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मंच और सीमा से संबंधित कानून प्रकृति में प्रक्रियात्मक है, जबकि अपील के अधिकार से संबंधित कानून, भले ही उपचारात्मक हो, प्रकृति में मौलिक है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मंच और सीमा से संबंधित

कानून प्रक्रियात्मक प्रकृति का है जबकि अपील के अधिकार से संबंधित कानून भले ही मौलिक प्रकृति का है।

17. इसलिए फेमा की धारा 19(1) के तहत दिया गया अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। धारा 19 की उपधारा (2) के तहत अपील दायर करने की प्रक्रिया और धारा 19 की उपधारा (2) का प्रावधान, जो न्यायाधिकरण को पर्याप्त कारण बताए जाने पर अपील दायर करने में देरी को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है, प्रक्रियात्मक अधिकार हैं।”

6. इसने आगे अभिनिर्धारित किया गया कि:

“19. सीमा कानून को आम तौर पर प्रक्रियात्मक माना जाता है और इसका उद्देश्य कोई अधिकार सृजित करना नहीं है, बल्कि ऐसे समय-सीमा निर्धारित करना है जिसके भीतर मौलिक कानून के तहत मौजूद अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सके। सीमा अवधि की समाप्ति पर, वाद करने का अधिकार समाप्त हो जाता है और यदि कार्रवाई का कोई विशेष अधिकार पहले की सीमा अवधि के तहत समय-बाधित हो गया था, तो नवीनतम कानून के प्रावधान द्वारा अधिकार को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है। इस प्रकार सीमा-नियम भूतलक्षी हैं, क्योंकि वे पूर्व में उपार्जित वाद हेतुक को लागू करने के लिए उनके प्रवर्तन के पश्चात लाई गई सभी विधिक कार्यवाहियों पर लागू होते हैं, किन्तु वे इस अर्थ में भावी हैं कि न तो उनका प्रभाव वाद के उस अधिकार को पुनर्जीवित करने पर पड़ता है, जो उनके प्रवर्तन में आने की तिथि पर पहले से ही वर्जित है, और न ही उनका प्रभाव उस तिथि को विद्यमान वाद के अधिकार को समाप्त करने पर पड़ता है। प्रक्रियात्मक

प्रावधानों के भूतलक्षी संचालन से निपटते हुए, बेनियन ने वैधानिक व्याख्या पर 5वां संस्करण (2008) पृष्ठ 321 पर कहा है कि सीमा अवधि निर्धारित करने वाले प्रावधान एक विशेष श्रेणी में आते हैं और उनका मत है कि यद्यपि प्रथम दृष्टया प्रक्रियात्मक हैं, वे प्रभावी रूप से व्यक्तियों को उनके अर्जित अधिकारों से वंचित करने में सक्षम हैं और इसलिए उन्हें सावधानी से अनुरोध करना चाहिए।

25. यह ध्यान देने योग्य है कि जब फेमा लागू हुआ था, तब फेरा के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड भंग हो गया था और उसने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए, फेमा के लागू होने के बाद, फेरा के अंतर्गत दिए गए न्यायनिर्णायक के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील, फेमा के अंतर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जानी थी, न कि फेरा के अंतर्गत अपीलीय बोर्ड के समक्ष। फेरा की धारा 52 में न्यायनिर्णायक के आदेशों के विरुद्ध अपील बोर्ड में अपील की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसमें समय-सीमा 45 दिन बताई गई है, लेकिन बोर्ड 45 दिनों की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है, लेकिन 90 दिनों से अधिक नहीं। फेमा के तहत, अपील उस अधिनियम के तहत गठित अपीलीय न्यायनिर्णायक में की जा सकती है और धारा 19(2) में प्रावधान है कि प्रत्येक अपील न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर दायर की जाएगी। हालांकि, अपीलार्थी को 45 दिनों की समाप्ति के बाद दायर अपीलों पर विचार करने का अधिकार है, अगर वह संतुष्ट है कि अपील दायर करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण थे। यद्यपि, फेरा की धारा 52(2) और फेमा की धारा 19(2) दोनों ही 45 दिनों की सीमा प्रदान करती हैं और अपीलीय

प्राधिकारी को 45 दिनों की समाप्ति के बाद अपील पर विचार करने का विवेक भी देती हैं, अगर अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो फेरा के तहत अपीलीय प्राधिकारी 45 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं कर सकता है, जबकि फेमा के तहत, यदि पर्याप्त कारण बताए जाते हैं, तो देरी को बिना किसी सीमा के माफ किया जा सकता है। हम पहले ही यह सवाल उठा चुके हैं कि क्या फेरा की धारा 52(2) या फेरा की धारा 19(2) अपील को नियंत्रित करेगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीमा से संबंधित किसी भी प्रावधान को हमेशा प्रक्रियात्मक माना जाता है और इसके विपरीत किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में, अपील की तारीख को लागू कानून, मूल आदेश के लिए कार्रवाई के कारण के उपार्जन की तारीख के बावजूद, सीमा की अवधि को नियंत्रित करेगा।

26. धारा 52(2) केवल अपीलीय बोर्ड में की गई अपील पर लागू हो सकती है, किसी अपीलीय अधिकरण पर नहीं। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि न्यायनिर्णायक ने फेरा के प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में आदेश पारित किए थे, चूंकि ऐसे आदेश के खिलाफ अपील फेमा के तहत गठित अपीलीय अधिकरण में थी, इसलिए अनिवार्य रूप से केवल फेमा की धारा 19(2) ही लागू होगी और फेरा की धारा 52(2) के प्रावधानों को लागू करना संभव नहीं है। चूंकि हमारा संबंध अपीलीय बोर्ड में अपील से नहीं है, बल्कि अपीलीय अधिकरण में अपील से है, चूंकि सीमा एक प्रक्रियात्मक का मामला है, इसलिए केवल वही कानून लागू होगा जो अपील दायर करते समय लागू होगा। इसलिए, फेमा की धारा 19(2) लागू होगी न कि फेरा की धारा

52(2) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 19(2) के तहत, देरी की अवधि के संबंध में कोई सीमा नहीं है जिसे अपीलीय अधिकरण द्वारा माफ किया जा सकता है। यदि पर्याप्त कारण बताए गए हैं, तो 45 दिनों से अधिक की देरी को भी माफ किया जा सकता है। अधिकरण और उच्च न्यायालय ने यह मानकर खुद को गलत दिशा दी कि सीमा की अवधि फेरा की धारा 52(2) द्वारा शासित थी।

27. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि धारा 49 की उपधारा (5) की धारा (ख) फेरा के तहत अपील बोर्ड के समक्ष निरसन के समय प्रस्तुत और लंबित अपील को संदर्भित करती है। उक्त खंड विशेष रूप से फेरा के तहत उत्पन्न होने वाले कार्रवाई के कारणों के संदर्भ में फेमा के तहत पारित न्यायनिर्णयन आदेशों के खिलाफ की गई अपीलों का उल्लेख नहीं करता है। हमने पहले ही देखा है कि फेमा के तहत अपील का अधिकार पहले से ही कार्रवाई के कारण के संबंध में बचा लिया गया है, जो कि फेरा के तहत उत्पन्न हुआ है, हालांकि विलंबित अपील के मामले में धारा 19 की उप-धारा (2) के प्रावधान के अधीन है।

28. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा कि फेमा की धारा 49 उन मामलों में अपील के निहित अधिकार को वापस लेने या छीनने का प्रयास नहीं करती है, जहां कार्यवाही 01.06.2000 को फेरा के निरस्त होने से पहले या उसके बाद शुरू की गई थी। फेमा की धारा 49 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि फेमा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया केवल फेमा के तहत दायर अपील के संबंध में लागू होगी, भले ही कार्रवाई का कारण फेरा के तहत उत्पन्न हुआ हो। वास्तव में, धारा 19 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत

फेरा के तहत निर्धारित समय सीमा को हटा दिया गया था और यदि अपील निर्धारित पैंतालीस दिनों के भीतर दायर नहीं की जाती है, तो अधिकरण को विलंब को माफ करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं, बशर्ते पर्याप्त कारण बताए जाएं। इसलिए, अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष यह है कि अधिकरण के पास फेरा के तहत निर्धारित तिथि से परे देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है, इस विषय पर कानून की समझ सही नहीं है।

7. 'भारत संघ बनाम अशोक जे. रामसिंघानी' , 2011 (4) ए.एल.एल. एम.

आर. 45 में बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

“16. हमें उपरोक्त प्रतिविरोध को स्वीकार करना कठिन लगता है। विधानमंडल ने फेरा को निरस्त करते हुए और इसे फेमा से प्रतिस्थापित करते हुए स्पष्ट रूप से प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, अर्थात् अपीलीय बोर्ड को भंग कर दिया है। इस प्रकार, फेमा के लागू होने पर, फेरा के तहत निर्धारित पहला अपीलीय फोरम, अर्थात् अपीलीय बोर्ड, स्पष्ट रूप से समाप्त हो जाता है। परिणामस्वरूप, फेमा के लागू होने के बाद, फेरा के तहत पारित न्यायनिर्णयन आदेशों के विरुद्ध अपील फेमा के तहत अपीलीय प्राधिकारियों, अर्थात् विशेष निदेशक (अपील)/अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दायर की जानी थी। विधानमंडल ने फेमा की धारा 49(5)(ख) के तहत आगे प्रावधान किया है कि फेमा के प्रारंभ की तिथि पर

अपीलीय बोर्ड के समक्ष लंबित अपीलों को फेमा के तहत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार, फेमा के लागू होने पर, फेमा के तहत पारित न्यायनिर्णयन आदेश के विरुद्ध अपील, फेमा के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर फेमा के तहत गठित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष संधार्य होगी। दूसरे शब्दों में, फेमा के लागू होने के बाद फेरा या फेमा के तहत पारित न्यायनिर्णयन आदेशों के खिलाफ अपील, फेमा के तहत गठित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर, फेमा के तहत गठित अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष दायर की जानी चाहिए।

8. निस्संदेह, धारा 54 फेरा 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की अनुमति देता है। प्रावधान स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय धारा 54 के तहत किसी भी अपील पर विचार नहीं करेगा यदि यह अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की जाती है, जब तक कि उच्च न्यायालय को यह संतुष्टि न हो कि अपीलार्थी को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था। भले ही धारा 54 के प्रावधानों पर विचार किया जाए, अपीलार्थी द्वारा 775 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद अपील दायर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाया गया है। देरी का कारण नहीं बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में देरी के लिए दिए गए कारण 'पर्याप्त

कारण' नहीं हैं। बल्कि इससे पता चलता है कि विभिन्न अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता और लापरवाही थी। आवेदन में इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्णय लेने में देरी किस विशिष्ट स्तर पर हुई और इसकी अवधि कितनी थी। प्रत्येक दिन की देरी के विषय में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। सुधारात्मक कदम उठाने में अपीलकर्ता की ओर से ढिलाई बरती गई। देरी को नियमित रूप से माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि निहित अधिकार विपरीत पक्ष के पक्ष में अर्जित होते हैं और इस तरह के अधिकार के लाभ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

9. 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम रेणु विज' में, (आप.अ.सं.1231/2011) ने 30.09.2011 और 'प्रवर्तन निदेशालय बनाम हरमीत सिंह और अन्य ', (आप.अ. सं.276/2012) 28 फरवरी, 2013 को निर्णय लिया गया कि इसी तरह की परिस्थितियों में इस न्यायालय ने अंतिम आदेश की तारीख से अपील दायर करने में क्रमशः 507 दिन और 832 दिन की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।

10. उपरोक्त कारणों को देखते हुए, मुझे अपील दायर करने में देरी को माफ करने की मांग करने वाले अपीलार्थी के आवेदन में कोई गुणागुण नहीं मिलता है। तदनुसार, विलंब की माफी के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

आप.अ. 1503/2011

12. आप.वि.आ. 18825/2011 में पारित आदेश को देखते हुए, अपील खारिज कर दी जाती है।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

03,अप्रैल,2014/ट्र

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।